साधुराम बनाम आगन्ती देवी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु० नं० - 124/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
02.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– मउ में पेश हुई। वादी साधूराम स्वयं उपस्थित आये। वादी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य पूर्व में आपस में राजीनामा हो गया है। प्रकरण को लोक अदालत की भावना से बरूए राजीनामा निर्णित किये जाने का निवेदन वादी ने किया। वादी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 623 लगायत 628, 630 से 634 कुल किता 11 कुल रकबा 6.25 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली तन् मउ तहसील श्रीमाधोपुर के 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी न. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 529, 534 लगायत 540, 543 से 551 कुल किता 17 कुल रकबा 7.1100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली तन् मउ तहसील श्रीमाधोपुर के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सजरा खानदान के अनुसार नानूराम के तीन पुत्र संतान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पति–पिता स्वर्गीय भग्गूराम एंव सुरजाराम तथा साधूराम वादी थे तथा उक्त खातेदारी भूमि पर तीनों भाई बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। इनसे पूर्व इनका पिता नानूराम काबिज काश्त चला आ रहा था परन्तु प्रतिवादी न. 1 ता 4 का पति–पिता स्व0 भग्गूराम परिवार में बड़ा व कर्त्ता खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गई तथा बाद में विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हो गई। भूमि खसरा नम्बर 623 लगायत 628, 630 से 634 कुल किता 11 कुल रकबा 6.25 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली तन् मउ में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 में से 1/3 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/9 हिस्सा की भूमि एंव खसरा नम्बर 529, 534 लगायत 540, 543 से 551 कुल किता 17 कुल रकबा 7.1100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली तन् मउ में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि में 1/12 हिस्सा की भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्तानुसार भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। जिस बाबत Sd/-	

Scanned by CamScanner

साधूराम बनाम अणची देवी वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु० नं० – 124/2017	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुवे
02.05.2018	संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 14.11.2017 को उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। साक्ष्य वादी में वादी साधूराम का मुख्य परीक्षण में शपथपत्र व वादी गवाह में झाबरसिंह ने शपथपत्र पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादी ने वादपत्र को पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के आधार पर बरूये राजीनामा आज आयोजित लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। हमने वादी के निवेदन पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 14.11.2017 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 4 एक ही परिवार से है। जिसमें पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा भी हो चूका है। अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र अटल सेवा केन्द्र– मउ पर आयोजित न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 14.11.2017 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को ग्राम पंचायत मउ के मजमे–ए–आम में मेरे द्वारा सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– मउ	

Scanned by CamScanner